GUIDELINES FOR GUEST FACULTY SELECTION RULE

GOVT. OF MP

GUEST FACUTY

GOVT. M. H. COLLEGE OF HOME SCIENCE AND SCIENCE FOR WOMEN, JABALPUR

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक : एफ 1/1/201/2023/38-1 भोपाल, दिनांक: 05/10/2023

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय- शासकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि विद्वानों से संबंधित नीति-निर्देश / नियम।

* * *

उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों के लिए प्राध्यापक, सह प्रध्यापक, सहायक प्रध्यापक, क्रीड़ाधिकारी तथा ग्रंथपाल के स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों के विरुद्ध संचालनालय की आमंत्रण प्रकिया में चयनित होकर कार्यरत अतिथि विद्वानों से संबंधित व्यवस्था हेतु पूर्व में जारी समस्त निर्देशों को अधिक्रमित/निरस्त करते हुए "अतिथि विद्वान व्यवस्था" को संचालित किये जाने हेतु निम्न निर्देश/नियम प्रसारित किया जाना प्रस्तावित हैं:-

1. सामान्यः

1.1 अतिथि विद्वानों की व्यवस्था महाविद्यालयों में केवल स्वीकृत प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, क्रीडाधिकारी तथा ग्रंथपाल के रिक्त पदों के विरुद्ध ही की जाएगी।

1.2 आवेदक की आयु सीमा अधिकतम 65 वर्ष रहेगी ।

1.3 संबन्धित पदों पर कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 एवं समय-समय पर किये गये संशोधन में उल्लेखित मापदंड के अनुरूप वांछित है। वांछित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी एवं **मध्यप्रदेश के मूल निवासी** इस व्यवस्था के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।

1.4 अतिथि विद्वान आमंत्रण पूर्णतः अस्थायी है। इन्हें किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जाएगा और वे लोक-सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत भी "लोक-सेवक" नहीं माने जाएँगे।

2. योग्यता, अनुभव अंक, अधिभार, मेरिट अंकों की गणना, वरीयता का निर्धारण:

2.1 योग्यता का निर्धारण:

2.1.1 संबंधित विषय/ सहविषय में न्यूनतम नेट/एमपी सेट/स्लेट अथवा पीएचडी उत्तीर्ण।

2.1.2 संबन्धित पदों पर कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संबंधी विनियम, 2018 एवं समय-समय पर किये गये संशोधन में उल्लेखित मापदंड के अनुरूप वांछित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी इस व्यवस्था के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।

2.2 अनुभव अंक का निर्धारण :

2.2.1 अतिथि विद्वानों को वरीयता देने के लिए उनके द्वारा पंजीयन के समय दर्ज अध्यापन कार्य के लिए देय अधिभार अंकों को जोड़कर गणना में लिया जाएगा। ये अंक अतिथि विद्वान द्वारा आवेदन के समय पोर्टल पर दर्ज किये जाएंगे, जिन्हे असत्य/त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राचार्य द्वारा प्रदत्त पत्रक के अनुसार कार्य दिवसों को ही अनुभव अंक के लिए जोड़ा जाएगा। यह अधिभार अधिकतम 05 वर्षों के लिए कुल 20 अंक तक ही मान्य होगा। यह और भी स्पष्ट किया जाता है कि शासकीय महाविद्यालयों में किए गए शिक्षण कार्य के अनुभव को ही अधिभार के रूप में शामिल किया जाएगा।

अतिथि विद्वानों को महाविद्यालय में पुनः आमंत्रण की स्थिति में एक अकादमिक सत्र में निम्नानुसार अंको का अधिभार देय होगा जो अधिकतम 05 वर्षों के अध्यापन अनुभव तक देय होगा:-

स0क्र0	कार्य दिवस	अनुभव के अंक
1	150 से अधिक दिवस	04
2	120 से 149 दिवस	03
3	90 से 119 दिवस	02
4	01 से 89 दिवस	01

नोटः- गणना के लिए 03 कालखण्ड को 01 कार्य दिवस के समतुल्य माना जायेगा।

2.3 अधिभार का निर्धारण :

2.3.1 समस्त श्रेणियों के आमंत्रण के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्यपिछड़ा वर्ग को (क्रीमी लेयर छोड़कर) तथा EWS वर्ग के आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देश के

अनुरूप स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत का 10 प्रतिशत अधिभार देय होगा। समस्त वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत का 10 प्रतिशत अधिभार अतिरिक्त रूप से दिया जाएगा ।

2.4 **मेरिट का निर्धारण :**

मेरिट अंकों की गणना स्नातकोत्तर के प्राप्तांक प्रतिशत को अंक मानते हुए प्राप्त अंकों में से 50 घटाया जाएगा तथा उसमें अधिभार जोड़ा जाएगा । उदाहरण के लिए यदि किसी आवेदक ने स्नातकोत्तर में 75% अंक प्राप्त किए हैं, अनुसूचित जाति का है, दिव्यांग भी है एवं 05 वर्षों का अनुभव है, तो उसके मेरिट अंक निम्नानुसार होंगे–

स्नातकोत्तर (75 - 50 = 25) - 25 अंक अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए अधिभार (75 का 10 प्रतिशत) - 7.5 अंक, दिव्यांग के लिए अधिभार (75 का 10 प्रतिशत) -7.5 अंक, अनुभव का अधिभार उपरोक्त तालिका अनुसार अधिकतम 04 अंक प्रतिवर्ष अतः कुल 05 वर्षों के लिए -20 अंक, इस प्रकार कुल मेरिट का अंक = 60

2.5 **वरीयता का निर्धारण:-**

2.5.1 मेरिट अंक समान होने पर अधिक आयु वाले अतिथि विद्वान को वरीयता दी जाएगी। यदि जन्मतिथि भी समान है तो संबंधित स्नाकोत्तर विषय में अधिक अंक वाले आवेदक को वरीयता दी जाएगी।

2.5.2 प्राचार्य का दायित्व होगा कि उपरोक्त प्रक्रियान्तर्गत अतिथि विद्वान के कार्य पर उपस्थित होने पर उसकी उपस्थिति उसी दिवस में सायं 05.30 बजे तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन मॉड्यूल में दर्ज किया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा पोर्टल से ही ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त कर संबंधित अतिथि विद्वान को दिया जाएगा तभी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूर्ण होगी। इस प्रक्रिया से सर्वसंबंधितों को ऑनलाइन आमंत्रण की ऑनलाईन अद्यतन जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

3. आमंत्रण प्रक्रिया:

3.1 आवेदक पोर्टल पर उपलब्ध रिक्तियों के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे एवं मेरिट अंक के निर्धारित वरीयता क्रम में उन्हें महाविद्यालय आवंटित कर आवंटन पत्रक जारी किया जाएगा। संचालनालय द्वारा इस प्रक्रिया की तिथि निर्धारित की जाएगी एवं प्रक्रिया संबंधी आवश्यक निर्देश जारी किए जाएँगे।

3.2 आमंत्रण-पत्र प्राचार्य द्वारा आवेदक को संबंधित महाविद्यालय में उपस्थिति के दिनांक से वर्तमान अकादमिक सत्र के लिए जारी किया जाएगा। नवीन अकादमिक सत्र प्रारंभ होने पर पृथक से प्राचार्य द्वारा नवीन आमंत्रण पत्र जारी किया जाएगा ।

3.3 आवेदन उपरांत संबंधित चयनित आवेदक यदि उल्लेखित समय सीमा में आमंत्रण स्वीकार करने हेतु कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में उसे उस अकादिमक सत्र के अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में आयुक्त उच्च शिक्षा का निर्णय अंतिम होगा ।

3.4 ऐसे अतिथि विद्वान जिनके विरूद्ध कोई भी जांच लंबित हो, गंभीर शिकायतों में लिप्त होने पर हटाए गये हों, इस प्रक्रिया हेतु अपात्र होंगे। आवेदन पत्र में इस आशय का एक कॉलम भरने हेतु दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे आवेदकों की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे अपात्र आवेदकों का आवेदन किसी भी स्तर पर अमान्य किया जा सकेगा एवं आवेदक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

3.5 आवेदक अपने मूल विषय या विभाग द्वारा अधिसूचित सह विषय में आवेदन कर सकता है। ऐसे आवेदक जो एक से अधिक विषयों में सह विषयों में नेट/सेट/स्लेट/ पीएचडी की अर्हता रखते है, को किसी एक मुख्य विषय के रिक्त पदों में सम्मिलित होने की पात्रता होगी।

3.6 आमंत्रित आवेदक को महाविद्यालय में निर्धारित अवधि में अपनी उपस्थिति देकर कार्यभार ग्रहण करना होगा। अतिथि विद्वान द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्राचार्य द्वारा समस्त अभिलेखों का मूल दस्तावेजों से परीक्षण उपरांत ही कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी एवं इसकी पुष्टि पोर्टल पर निर्धारित अवधि में कंडिका 2.5.2 के अनुरूप की जाएगी।

3.7 अकादमिक सत्र में दो चरणों के लिए अतिथि विद्वानों को उनकी योग्यता/ अनुभव अंक (प्रथम चरण में) के डाटा में सुधार का अवसर दिया जाएगा ताकि यदि उनकी उपाधि/शोध संबंधी डिग्री में कोई वृद्धि हुई हो तो उसे रिकार्ड किया जा सके। इस परिवर्तन का सत्यापन मूल अभिलेख के आधार पर संबन्धित अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा किया जाएगा। उपरोक्तानुसार दर्ज योग्यता के आधार पर ही आमंत्रण की प्रक्रिया सम्पूर्ण वर्ष सम्पादित होगी।

3.8 अतिथि विद्वानों के आमंत्रण के समय इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि उनके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक

प्रकरण विचाराधीन नहीं है एवं वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही उसको व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अपराधिक प्रकरण में दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।कार्यरत अवधि में भी अगर कोई अतिथि विद्वान पर कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज होता है तो उन्हें विस्थापित कर दिया जाएगा।

3.9 अतिथि विद्वान एक साथ दो महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य नहीं कर सकेगा।

3.10 इस आदेश के अनुसार आमंत्रण की प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों के भविष्य में जारी होने वाले निर्णयों के अध्याधीन होगी।

4. <u>नियमित पदस्थापना/नियुक्ति होने पर की जाने वाली प्रक्रिया :</u>

4.1 किसी भी स्थिति में स्थानांतरण से नियमित पदस्थापना होने पर या नवीन नियुक्ति से पदस्थापना के कारण पद भरे जाने पर उक्त पद के विरुद्ध अतिथि विद्वान को आगे उस पद पर कार्यरत नहीं रखा जाएगा।

4.2 स्थानांतरण/नवीन नियुक्ति से नियमित पदस्थापना होने पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत उस पद पर कार्यरत अतिथि विद्वान को जो न्यूनतम मेरिट अंक (ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध सूची अनुसार) रखता है, उसे विस्थापित (Fallen Out) किया जाएगा । इसकी जानकारी प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर कारण अंकित करते हुए पोर्टल से जारी विस्थापित (Fallen Out) संबंधी पत्र/सर्टिफिकेट अतिथि विद्वान को प्रदाय किया जावेगा।

4.3 इस प्रकार विस्थापित (Fallen Out) अतिथि विद्वान को जिला/संभाग में स्थित निकटस्थ महाविद्यालय में उस विषय का पद रिक्त होने पर वरियता के क्रम में पुनः आमंत्रण दिया जा सकेगा।

5. <u>विस्थापित (Fall Out) होने पर आमंत्रण :</u>

5.1 विस्थापित (Fallen Out) होने के उपरांत आवेदन करने एवं कार्यभार ग्रहण करने की उपरोक्त प्रक्रिया आवश्यकतानुसार संचालनालय के माध्यम से संपादित की जाएगी ।

5.2 विस्थापित (Fallen Out) होने पर आमंत्रण पूर्णतः ऑनलाईन कण्डिका-3 "आमंत्रण की प्रक्रिया" के अनुसार किया जायगा।

6. मानदेय का निर्धारण:

6.1 राज्य शासन मंत्रिपरिषद आदेश आयटम क्रमांक 9, दिनांक 16 सितम्बर, 2023 के निर्णय के अनुक्रम में वित्त विभाग द्वारा दिये परामर्श अनुसार प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों को वर्तमान में देय प्रतिदिवस 1,500/- रूपये मानदेय में बढ़ोतरी करते हुए दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 से प्रतिदिवस रूपये 2,000/- करते हुए अधिकतम मासिक मानेदय राशि रूपये 50,000/- प्रदाय किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

6.2 उपरोक्तानुसार महाविद्यालय के लिए मानदेय हेतु आवश्यक राशि का औचित्य पूर्ण प्रस्ताव (क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक द्वारा अभिप्रमाणित तथा रिक्त पदों की जानकारी सहित) प्राचार्य द्वारा संचालनालय की बजट शाखा को निर्धारित अवधि में भेजा जाएगा।

7. अवकाश सुविधा:

7.1 घोषणा के अनुपालन में अतिथि विद्वानों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में एक वर्ष में 13 आकस्मिक एवं 03 ऐच्छिक अवकाश प्रदान किया जाएगा।

7.2 महिला अतिथि विद्वानों को प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 की कंडिका 5 एवं कार्य और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना 31 मार्च, 2017 एवं समय-समय पर जारी संशोधित आदेश अनुसार प्रसूति अवकाश अवधि में उस महिला अतिथि विद्वान को उस अवधि में प्रत्येक माह में उपलब्ध कार्य दिवसों के लिए उसी दर से मानदेय भुगतान किया जावेगा, जिस दर से उसे प्रसूति अवकाश में जाने के ठीक पहले मानदेय प्राप्त हो रहा था। प्रसूति अवकाश अवधि में उस महिला अतिथि विद्वान के स्थान पर अन्य अतिथि विद्वान को आमंत्रित नहीं किया जावेगा। प्रसूति अवकाश से वापस आने के पश्चात संबंधित अतिथि विद्वान द्वारा आमंत्रण की शेष अवधि में अपना शेष समस्त कार्य पूर्ण करना होगा ।

8. स्थल परिवर्तन:

8.1. कार्यरत अतिथि विद्वानों को एक अकादमिक सत्र में एक बार पद रिक्त होने की स्थिति में स्थानांतरण की सुविधा रहेगी, जो कि ऑनलाईन पोर्टल पर मेरिट के आधार पर संचालनालय स्तर से की जाएगी।

8.2. रिक्तियों को पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा अतिथि विद्वान ऑनलाइन आवेदन करेंगे ।

8.3 अतिथि विद्वान आवेदन करने पर स्थान परिवर्तन के लिय वांछित महाविद्यालय आवंटित किये जाने के उपरान्त आवेदन को अमान्य करने या आवंटित महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर अतिथि विद्वान को उस वर्तमान अकादमिक सत्र में स्थल परिवर्तन का लाभ प्रदान नहीं किया जावेगा।

9. नियमित नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षा में दी जाने वाली सुविधाएं:

9.1 मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक / क्रीड़ाधिकारी / ग्रंथपाल भर्ती परीक्षा हेतु प्रेषित मांगपत्र में विज्ञापित होने वाले रिक्त पदों में 25 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज क्रम में समान रूप से सभी श्रेणियों यथा अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ई.डब्ल्यू.एस. में किया जाता है। इन आरक्षित पदों पर उन्ही अतिथि विद्वानों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, जिनके द्वारा न्यूनतम 01 पूर्ण अकादमिक सत्र में शासकीय महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया है अथवा अतिथि विद्वान नीति वर्ष 2019 के अनुसार 04 अंक अर्जित किया है। पदों का आरक्षण आगामी 03 भर्ती विज्ञापनों तक सीमित रखा जाएगा। अनारक्षित श्रेणियों में चयनित अतिथि विद्वानों को मिलाकर कुल 25 % पद अतिथि विद्वानों से भरा जाना लक्षित है।

9.2 अतिथि विद्वानों को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक/क्रीड़ाधिकारी/ग्रंथपाल भर्ती परीक्षा में निर्धारित आयु सीमा में अध्यापन अनुभव (अतिथि विद्वान नीति वर्ष 2019 के अनुसार) के बराबर अर्थात एक अकादमिक सत्र के लिए 01 वर्ष किंतु अधिकतम 10 वर्षों की छूट प्रदान की जाएगी। आयु सीमा में यह छूट सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त होगी। आयु सीमा में छूट आगामी 03 भर्ती विज्ञापनों तक सीमित रहेगी।

10. अन्य निर्देश :

10.1 एक माह के अनेक कार्य दिवसों में अथवा निरंतर 15 दिवस तक अनुपस्थित रहने एवं अनुशासनहीनता की प्रवृति रखने वाले अतिथि विद्वानों को प्राचार्यों द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाए, संतोषजनक जवाब नहीं पाए जाने पर कार्यमुक्त किये जाने की चेतावनी जारी की जाए। चेतावनी के उपरांत भी एक माह तक सुधार नहीं होने

पर उन्हें कारण सहित कार्यमुक्त करते हुए पोर्टल पर जानकारी दर्ज की जाए।

अपील की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :

- अतिथि विद्वान कार्यमुक्ति के विरूद्ध 10 दिवस के अंदर संबंधित अतिरिक्त संचालक को प्रथम अपील पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन कर सकता है, जिसका निराकरण अतिरिक्त संचालक द्वारा 10 दिवस के अंदर किया जाएगा।
- प्रथम अपील के निर्णय उपरांत 3 दिवस के अंदर आयुक्त, उच्च शिक्षा के समक्ष द्वितीय अपील भी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन की जा सकेगी, जिसका निराकरण आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा किया जायेगा। द्वितीय अपील में दोषी पाए जाने पर संबंधित अतिथि विद्वान को भविष्य के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

10.2 अतिथि विद्वान को सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा एवं महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

10.3 अतिथि विद्वानों द्वारा सम्पूर्ण सत्र में किए गए पठन-पाठन कार्य का मूल्यांकन संबंधित विद्यार्थियों के विश्वविद्यालयीन परीक्षा के अर्जित अंकों, विद्यार्थियों की संख्या एवं प्राचार्य के मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ प्राचार्य के निर्देशानुसार विभिन्न प्रशासकीय कार्य संपादित करेंगे। समस्त रिकॉर्ड का संधारण महाविद्यालय स्तर पर किया जाए।

10.4 अतिथि विद्वानों को महाविद्यालय में प्रतिदिवस न्यूनतम 6 घंटे तथा प्रतिसप्ताह न्यूनतम 40 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा, जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त वे ट्यूटोरियल, रेमेडियल क्लासेस आदि में भी शिक्षण का कार्य करेंगे महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार प्राचार्य द्वारा कार्यभार में वृद्धि भी की जा सकती है। प्राचार्य द्वारा अतिथि विद्वानों की कक्षाओं/कार्यों की समय- सारिणी इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि उपरोक्तानुसार उपस्थिति सुनिश्चित हो सके।

जो अतिथि विद्वान नेट/सेट/पी.एच.डी. योग्यताधारक नहीं है व वर्तमान में कार्यरत है, उन्हें केवल मानदेय एवं अवकाश सुविधा का लाभ उपरोक्तानुसार देय होगा। अन्य सभी सुविधाओं के लिए जैसे- नियुक्ति में आरक्षण, आयुसीमा में छूट/ विस्थापित (Fallen Out) की स्थिति में पुनः नियोजन आदि का लाभ देय नहीं होगा।

10.5 अतिथि विद्वानों के अभ्यावेदनों एवं न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के प्रकाश में संबंधित संभागीय क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक द्वारा किया जाएगा । यदि आवश्यकता होती है तो आयुक्त, उच्च शिक्षा से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे।

10.6 परिस्थिति अनुसार यदि संशोधन की आवश्यकता है तो इस हेतु प्रशासकीय विभाग संशोधन कर सकेगा। निर्देशों की व्याख्या का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा को होगा।

10.7 यह आदेश मंत्रि-परिषद की स्वीकृति (आइटम क्रमांक 9,दिनांक 16 सितम्बर, 2023 एवं आयटम क्रमांक 42 दिनांक 26 सितम्बर 2023) के अनुसार जारी किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

5-10-23

(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्र. : एफ 1/1/201/2023/38-1 भोपाल, दिनांक: 05/10/2023

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजभवन भोपाल,
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, म.प्र. शासन, भोपाल,
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, म.प्र.शासन, भोपाल,
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
5. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
6. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल,
7. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश,
8. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश,
9. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश,
10. समस्त अध्यक्ष, जनभागीदारी समिति, मध्यप्रदेश,
11. अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, शाखा-01/वि.क.अ., शाखा-02/शाखा-03/सी.सी. सेल, मंत्रालय, भोपाल,

12. उपसचिव, मध्यक्षेत्रीय कार्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विठ्ठल मार्केट, भोपाल,

13. समस्त अधिकारी, कार्यालय आयुक्त , उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश,

14. समस्त कोषालय एवं उपकोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,

15. कम्प्यूटर सेल, उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल की ओर वेबसाईड पर प्रकाशार्थ।

5-10-23

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग